न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 29/19 **निर्णय दिनांक** 22-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2019/00299)

1. पारादेवी पत्नी रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 एमजीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला दिनांक 23—07—2019

उपस्थितः
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 23—07—2019 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 100/23 में किता नम्बर 1 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि निहित है। जिस पर अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आज दिनांक तक निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है तथा मौके पर ग्वार व हरे चारे की फसल खड़ी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। स्टेट की तरफ से. जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावे की श्रेणी में नहीं आता है, इस बाबत् किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि न तो पूर्व में न ही आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई खनन का कार्य किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर मात्र संबंधित तहसीलदार के कथन पर विश्वास करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

उन्होंने आगे बताया कि तहसीलदार की फर्द मौका में खनन होना पाया गया अंकित किया गया है, यह कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्ध कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्ध वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट का जब भूमि का आवंटन किया गया था तत्समय ही उसी समय मौके पर कुछ किलों में जिप्सम निकला हुआ था तथा मौके पर गहरे गड्डे भी थे। अपीलांट एक महिला जात व्यक्ति है। जिसके द्वारा मौके पर कभी भी खनन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट जिसमें अभिलिखित है कि मौके पर किला नम्बर 4 व 5 पर अवैद्य खनन किया गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की सम्पूर्ण भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23–07–2019 को स्टेट का दावा स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन का कार्य किया गया है, साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि उपखण्ड क्षेत्र खाजुवाला में अवैध खनन कर जिप्सम बेचान एक व्यवसाय बन चुका है तथा इससे अवैध व्यवसाय के रूप में खनन माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के उक्त विवेचन के विपरीत दौराने बहस यह कथन किया गया कि उनके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर कभी भी अवैध खनन नहीं किया गया है तथा कथन किया गया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर मौके पर ग्वार, हरे चारे की फसल खड़ी है, परन्तु इस संबंध में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अपीलांट के इस कथन को बल मिलता हो कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध खनन नहीं करते हुए कृषि कार्य किया गया हो। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह तो साबित है कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि अर्थात कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करते हुए अवैध खनन का कार्य किया है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का प्रयोजन परिवर्तन करते हुए कृषि से अकृषि कार्य किया हुआ है। अपीलांट का उक्त कृत्य राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Puspa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपीलांट मात्र तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का आदेश दिनांक 23—07—2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22-2-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:23:05 IST
Reason: SelfAttested